उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-08/2018/660/पांच-8-2018-जी0(06)/2018

लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-103/2017/6030/पांच-8-2017-जी0(290)/2017, दिनांक 27-12-2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-104/2017/6031/पांच-8-2017-जी0(290)/2017, दिनांक 27-12-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर क्रमश: 1215 एवं 447 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती आदेश निर्गत करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप के पृष्ठांकन संख्या-5 में सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को दिनांक 27-01-2017 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की समयावधि निर्धारित की गयी थी।

2- शासन स्तर पर चिकित्साधिकारियों की उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-01-2017 द्वाराकीगयी तैनाती में योगदान किये जाने की निर्धारित समयावधि सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 27-02-2018 तक एतदद्वारा बढ़ायी जाती हे तथा योगदान आख्या प्रस्तुत न करने वाले चिकित्साधिकारी तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण का निर्दिष्ट समयावधि में तैनाती स्थल पर अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-12-2017 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2018/660(1)/पांच-8-2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

8- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।